कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : ....
दिनांक : ....

कार्यालय आदेश

दिनांक 29.08.2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline पर लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्ययनरत दो छात्रों आकर्ष सिंह एवं सक्षम सिंह उभय छात्र बी0 ए0 (आनर्स) प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 के द्वारा अपने से वरिष्ठ छात्रों शिवान्श सिंह एवं विनय सिंह छात्र बी0 ए0 द्वितीय वर्ष के विरूद्व रैगिंग किये जाने की शिकायत जिसका Ref No. ARCC/UP5734 है। इस घटना के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019–2020 में गठित रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2019 लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के बी0ए0 प्रथम वर्ष कक्षा में अध्ययनरत् दो छात्रों द्वारा अपने से वरिष्ठ बी0ए0 द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत् शिवान्श सिंह एवं विनय सिंह के विरुद्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline: 1800-180-5522 पर की थी। इस प्रकरण की आद्योपान्त विवेचना लखनऊ विश्वविद्यालय के रैगिंग समिति के सदस्यों द्वारा किये जाने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये।

घटना के प्रतिवादी विनय सिंह पुत्र श्री सतेन्द्र कुमार सिंह, छात्र बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर को कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 2950 दिनांक 30.08.2019 द्वारा कारण बताओ सूचना निर्गत कर उनसे इस घटना के सम्बन्ध में दो दिन के अन्दर स्पष्टीकरण माँगा गया। विनय सिंह के पिता श्री सतेन्द्र कुमार सिंह दिनांक 16.09.2019 को कुलानुशासक कार्यालय में स्वयं आये और उन्होंने लिखित रूप में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि दिनांक 29.08.2019 को उनका पुत्र अस्वस्थ होने के कारण उनके मूल निवास ग्राम–इटहुआ पश्चिम पोस्ट–पानापुर जिला–बाराबंकी में उपस्थित था। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् कतिपय कनिष्ठ छात्रों द्वारा साजिश के तहत उसे इस प्रकरण में झूँठा फँसाया जा रहा है। इस घटना के दूसरे प्रतिवादी शिवाँश सिंह पुत्र श्री राजा कपिल बुद्वि सिंह छात्र बी0 ए0 तृतीय सेमेस्टर को कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 2971 दिनांक 30.08.2019 द्वारा कारण बताओ सूचना निर्गत कर दो दिन के अन्दर उससे इस घटना के विषय में लिखित स्पष्टीकरण माँगा गया। शिवाँश सिंह ने दिनांक 06.09.2019 को कुलानुशासक कार्यालय में लिखित रूप में यह सूचित किया की उनके ऊपर रैगिंग और मारपीट का आरोप निराधार है। इस घटना के वादी सक्षम सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह एवं आकर्ष सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह ने दिनांक 06.09.2019 को कुलानुशासक कार्यालय में लिखित रूप में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सूचित किया कि उन्होंने रैगिंग की जो शिकायत संख्या ARCC/UP-5734 की थी उसमें शिवाँश सिंह का नाम गलत तरीके से लिखा गया है। मेरा उनसे कोई लेना–देना नही है मैने उनके खिलाफ कम्पलेन की ही नही थी। वादी छात्रो का लिखित बयान इस घटना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

इस घटना की वास्तविक स्थिति जानने के लिये कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 2998 दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री आकर्ष सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह को यह सूचना दी गयी कि वह अपने साथ हुयी रैगिंग की घटना में वास्तविक दोषी छात्रों का विवरण दो दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इस घटना के दूसरे वादी श्री सक्षम सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह को कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 2999 दिनांक 06.09.2019 द्वारा सूचना दी गयी कि वह अपने साथ हुयी रैगिंग की घटना में दोषी छात्रों का विवरण दो दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

उक्त दोनो वादी छात्र जब कुलानुशासक कार्यालय में नही आये तो कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 3030 दिनांक 14.09.2019 द्वारा श्री अरविन्द सिंह, पिता श्री आकर्ष सिंह को अपने सुपुत्र के साथ दो दिन के अन्दर कुलानुशासक कार्यालय में बुलाया गया। यह सूचना दिनांक 17.09.2019 को उनके स्थायी पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी गयी।

इस घटना के दूसरे प्रतिवादी श्री सक्षम सिंह के पिता श्री अजय कुमार सिंह को कार्यालय के पत्र संख्या 3031 दिनांक 14.9.2019 द्वारा अपने सुपुत्र के साथ दो दिन के अन्दर इस कार्यालय में बुलाया गया। यह सूचना दिनांक 17.09.2019 को उनके स्थायी पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी गयी। दिनांक 20.09.2019 को सायंकाल 05 बजे तक इस घटना के वादी सक्षम सिंह एवं आकर्ष सिंह एवं इन दोनो छात्रों के पिता जी कुलानुशासक कार्यालय में अपने सुपुत्र के साथ हुई रैगिंग की घटना के सम्बन्ध में कोई लिखित एवं मौखिक बयान देने के लिये कुलानुशासक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 18.09.2019 को कुलानुशासक कार्यालय द्वारा यह सूचना प्रसारित करवायी गयी कि दिनांक 29.08.2019 को शिवाँश सिंह एवं विनय सिंह छात्र बी0ए0 द्वितीय वर्ष की विरूद्व जो रैगिंग की शिकायत की गयी इस परिपेक्ष्य में यदि किसी छात्र को कोई मौखित/लिखित सूचना देना है तो वह दिनांक 21.09.2019 को प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4.00 बजे के मध्य कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में दे सकता है, परन्तु विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् कोई छात्र इस सम्बन्ध में सूचना देने हेतु नही आया।

रैगिंग समिति ने हेल्पलाइन पर शिकायत की इस घटना की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो विवेचना की उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस घटना के वादी कनिष्ठ छात्रों ने वरिष्ठ छात्रों को रैगिंग में फंसाने की दृष्टि से उनके विरूद्ध एण्टी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की। इस कपोल कल्पित घटना से न केवल वरिष्ठ छात्रों की उच्य शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ अपितु लखनऊ विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई।

P.T.O.

रैगिंग समिति द्वारा इस घटना के वादी आकर्ष सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह, छात्र बी० ए० आनर्स प्रथम/ द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी अनभुला चौंदपुर जनपद–गोण्डा (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271129 एवं सक्षम सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह छात्र– बी० ए० आनर्स प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी–रघुवैश्य पुरवा सोनौली मोहम्मद जनपद–गोण्डा (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271402 से रूपया 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाप पेपर पर कुलानुश कार्यालय द्वारा निर्धारित आदर्श पाकवृत्त का शपथ–पत्र ले लिया जाय कि भविष्य में वह इस प्रकार की गलती की पुनरा नहीं करेगें, अन्यथा इनका विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

रैगिंग समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के दृष्टिगत मा० कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.10.2019 के अनुपालन में वादी आकर्ष सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह, छात्र बी०ए० आनर्स प्रथम/ द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी अनभुला चौंदपुर जनपद–गोण्डा (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271129 एवं सक्षम सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह छात्र– बी०ए० आनर्स प्रथम/ द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी–रघुवैश्य पुरवा सोनौली मोहम्मदपुर जनपद–गोण्डा (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271402 से रूपया 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाप पेपर पर कुलानुशासक कार्यालय द्वारा निर्धारित आदर्श पाकवृत्त का शपथ–पत्र ले लिया जाय कि भविष्य में वह इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेगें, अन्यथा इनका विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा पर स्वीकृति प्रदान की है।

तत्क्रम कार्यालय आदेश निर्गत किया जाता है।

(एस० के० शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या GA/25402–19 दिनांक 07/11/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव प्रतिकुलपति, मा० प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. परीक्षा नियन्त्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. समस्त निदेशक/समन्वयक लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. समन्वयक, यू०जी०/पी०जी० प्रवेश, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. मुख्य अभिरक्षिका, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. ओ०एस०डी०, आई० एम०एस०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
13. प्रो० इंचार्ज,अभियन्त्रिकीय संकाय(स्ववित्तपोषित),लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. समस्त् उपकुलसचिव/सहायक कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. श्री आकर्ष सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह, छात्र बी० ए० आनर्स प्रथम/ द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी अनभुला चौंदपुर जनपद (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271129
16. श्री सक्षम सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह छात्र– बी० ए० आनर्स प्रथम/ द्वितीय सेमेस्टर 2019–2020 निवासी–रघुवैशय पुरवा सोनौली मोहम्मदपुर जनपद–गोण्डा (उ०प्र०) पिन कोड नं० 271402
17. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
18. निजी सचिव, कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उप कुलसचिव (सामा० प्रशा०)